न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–591 / 2026

विश्वकर्मा कुमार उर्फ दीपक कुमार बनाम बिहार सरकार

जुड़ावनपुर थाना कांड संख्या–191 / 2025

अधीन धारा–324(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–25(1-b)a, 26, 35, 27 आर्म्स एक्ट।

22-05-2026 जुड़ावनपुर थाना कांड सं0–191 / 25, भारतीय न्याय संहिता की धारा–324(4), 3(5) एवं धारा–25(1–b)a, 26 35, 27 आर्म्स एक्ट में अभिरक्षाधीन आवेदक **विश्वकर्मा कुमार उर्फ दीपक कुमार उम्र–21 वर्ष पेसर–राजकुमार राय** साकिन–जुड़ावनपुर बरॉटी, थाना–जुड़ावनपुर, जिला–वैशाली, जो दिनांक–23.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, में धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दाखिल नियमित जमानत आवेदन पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्रीमती कुमारी पुष्पम** तथा राज्य के तरफ से विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबु राय** एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता **श्री अवधेश कुमार** को सुना।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन सं0–3189 / 2025 दाखिल किया गया जिसे पारित आदेश दिनांक–12.01.2026 से अस्वीकृत किया गया है जिससे क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष आपराधिक विविध वाद सं0–7026 / 2026 दाखिल किया गया जिसे पारित आदेश दिनांक–19.02.2026 से खारिज किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, सूचक का बिंदा चौक पर कपड़ा एवं सिंगार का दुकान है। दिनांक–19.09.2025 को समय 09:30 बजे रात्रि में सूचक के दुकान में उसका भाई रामप्रवेश राय था तभी विश्वकर्मा कुमार उर्फ दीपक, राज कुमार राय एवं पांच अज्ञात व्यक्ति सूचक के दुकान पर आये और विश्वकर्मा कुमार पिस्तौल से फायर करते हुए सूचक के दुकान पर चढ़ाई कर दिया और ताला लगाकर सी0सी0टी0वी0 कैमरा को क्षतिग्रस्त कर जान से मारने का प्रयास किया। पुनः दिनांक–20.09.2025 को सूचक के दुकान पर आकर धमकी देते हुए गोली फायर करने लगा जिसकी सूचना सूचक द्वारा थाना को दी गई तो पुलिस आयी और जांच पड़ताल कर घटनास्थल से तीन जिंदा कारतूस एवं खोखा जप्त किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक दिनांक–23.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक निर्दोष है तथा उन्हें मिथ्या रूप से इस मामले में फंसाया

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–591 / 2026

विश्वकर्मा कुमार उर्फ दीपक कुमार बनाम बिहार सरकार

लगातार

22.05.2026 गया है। आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। आवेदक के विरूद्व जुड़ावनपुर थाना कांड सं0–234 / 2024 अंतर्गत धारा–317(5) भारतीय न्याय संहिता एवं जुड़ावनपुर थाना कांड सं0–236 / 25 अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 303(2), 351(2), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता लंबित है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। निवेदित है, आवेदक को नियमित जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता आवेदक के नियमित जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख, कांड दैनिकी की कंडिका 01 से 98 एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिन पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल से गोली फायर कर दुकान में ताला लगाकर सी0सी0टी0वी0 कैमरा को क्षतिग्रस्त कर जान से मारने का प्रयास करने एवं पुनः घटना के दूसरे दिन दिनांक–20.09.2025 को सूचक के दुकान पर आकर धमकी देते हुए गोली फायर करने का आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 09, 10, 11 एवं 12 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस मामले के सह अभियुक्त राजकुमार राय को इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत आवेदन सं0–55 / 2026 में पारित आदेश दिनांक–22.01.2026 से नियमित जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। आवेदक दिनांक–23.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः मामले के तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों एवं वाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आवेदक को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदक को मो0 10,000 / – की समान राशि के दो प्रतिभू के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि–

1. आवेदक किभी भी प्रकार के ऐसे अपराध में शामिल नहीं होगा और हिरासत से रिहा होने के बाद एक वर्ष की अवधि तक प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में संबंधित थाना के थानाध्यक्ष को अपने सदाचरण के संबंध में उपस्थित होकर रिपोर्ट करेगा।

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–591 / 2026

विश्वकर्मा कुमार उर्फ दीपक कुमार बनाम बिहार सरकार

लगातार

22.05.2026

2. आवेदक किसी भी तरह से मुकदमा के निपटारा में देरी नहीं करेगा और आरोप गठन होने और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–351 के तहत बयान होने के समय वह शारीरिक रूप से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी आवेदक द्वारा उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित विचारण न्यायालय आवेदक का जमानत रद्द करने और आवेदक को कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

आवेदक का जमानत स्वीकार करने से पहले विद्वान विचारण न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त आदेश की एक प्रति संबंधित थाना के थानाध्यक्ष को भेजे और उन्हें निर्देश दिया जाए कि यदि आवेदक उपरोक्त शर्तों में निर्दिष्ट किसी भी महीने में उनके समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो संबंधित थानाध्यक्ष विद्वान विचारण न्यायालय को सूचित करें।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।